भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 201

दिनांक 24.02.2015/5 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस थाने में पुलिस कार्मिकों की तैनाती

†201. श्री बी०वी० नाईक:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने में दो महिला सब इंस्पेक्टर तथा सात महिला कांस्टेबलों की तैनाती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र दिल्ली में पीसीआर वैन की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में उठाए गए अन्य सुधारात्मक कदम क्या हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) और (ख): सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 161 क्षेत्रीय पुलिस स्टेशनों में तैनाती हेतु कार्यकारी संवर्ग में महिला पुलिस के 1084 अतिरिक्त पद (महिला–उपनिरीक्षक-306 और महिला कांस्टेबल-778) मंजूर किए थे।

(ग) से (घ): वर्ष 2013 में, दिल्ली पुलिस के लिए 370 अतिरिक्त पीसीआर वैनों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्तमान में, गृह मंत्रालय के पास दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैनों की संख्या बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था में सुधार करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए अन्य सुधारात्मक कदम निम्नानुसार हैं:-

- बीट गश्त प्रणाली पर बल।
- पुलिस की मौजूदगी तथा गश्त में वृद्धि।
- प्रत्येक पुलिस थाने में अपराध के पैटर्न के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान।
- मोटर बाइकों पर संदिग्ध दिखाई पड़ने वाले युवाओं की लक्षित जांच-पड़ताल।
- त्वरित प्रतिक्रिया समय।
- सक्रिय आपराधिक गुटों के विरुद्ध जिला पुलिस तथा विशेष इकाइयों द्वारा स्थूल (मेक्रो) आसूचना का संग्रहण।
- ज्ञात अपराधियों की गहन निगरानी।
- दोषसिद्धि अथवा जमानत पर रिहाई के पश्चात जेल से बाहर आए अपराधियों की गतिविधि पर नज़र रखना।
- "आंख और कान" योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से अपराध के नियंत्रण में जनता की भागीदारी।

*****